

फा.सं.11 / 01/2019-गो. -1/1

कर्मचारी चयन आयोग

सूचना

विषय : संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा (सीएचएसएलई) 2018 के टियर-II परीक्षा (वर्णनात्मक पेपर) में अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों की शिकायतों की जांच करने के लिए समिति का गठन ।

-----

आयोग द्वारा दिनांक 29-09-2019 को संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10 + 2) स्तरीय परीक्षा -2018 (टियर- II) आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 45,101 अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था की गई थी , जिसमें से 36,112 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे। उक्त परीक्षा का परिणाम दिनांक 25.02.2020 को घोषित किया गया था, जिसमें आयोग द्वारा निर्धारित कट-ऑफ के आधार पर 30,822 (अस्थाई रूप से) अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों को 5918 अनंतिम रिक्तियों के लिए टियर-III (कौशल टेस्ट) के लिए शार्ट-लिस्ट किया गया था। असफल अभ्यर्थियों में से 4560 अभ्यर्थियों को अनुचित साधनों के आधार पर अनर्हित किया गया था।

2. अनर्हित अभ्यर्थियों में से कुछेक ने आयोग को अपनी अनर्हता के बारे में आयोग के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध करते हुए आयोग को अभ्यावेदन दिया । आयोग ने अपने आदेश सं. 13/65/2013-सी1/1, दिनांकित 21-05-2020 के तहत मामले की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया, जो आयोग के विचारार्थ अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सके।

3. इसके बाद समिति ने दिनांक 16 जुलाई, 2020 को अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है । इस समिति ने अन्य बातों के साथ- साथ यह भी सिफारिश की है कि "संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा टियर-II - 2018 के जो अभ्यर्थी अपनी पहचान प्रकट करने के कारण अनर्हित किए गए थे और जिन्हें 'अनुचित साधन का प्रयोग (UFM)' श्रेणी में रखा गया था, उनके संबंध में प्रतिबंधकारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों को एकबारगी उपाय के रूप में अनदेखा किया जाना चाहिए" ।

4. तदनुसार, आयोग ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा (टियर-2), 2018 के उन सभी 4560 अभ्यर्थियों को एकबारगी छूट देने का फैसला किया है जो अनर्हित किए गए थे । इन अभ्यर्थियों के परिणाम तदनुसार तैयार किए जाएंगे ।

अवर सचिव (गो.1/1)

05.08.2020